

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर जिला – सरगुजा(छ.ग.)

क्रमांक/२१५५ / भण्डार / 2020

अम्बिकापुर दिनांक २१/०५/२०२०

निविदा विज्ञप्ति

वर्ष 2020–2021 के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा औषधि, सर्जिकल उपकरण, रसायन एवं प्रयोगशाला सामग्री क्रय हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं एवं उनके अधिकृत विक्रेताओं से, जिनके पास ड्रग लाईसेंस एवं जीएसटी नम्बर हो, से मोहर बंद निविदा स्पेसिफिकेशन के साथ अमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र/शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस में 2000 रूपये भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र की बिक्री 01.06.2020 से 15.06.2020 समय 03 बजे शाम तक एवं निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 30.06.2020 समय 03 बजे शाम तक होगी। निविदा खोलने की तिथि 30.06.2020 समय 04 बजे शाम ।

1. निविदा फार्म बिक्री की तिथि – 01.06.2020 से 15.06.2020 शाम 03 बजे तक
2. निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि – 30.06.2020 शाम 03 बजे तक
3. निविदा खोलने की तिथि – 30.06.2020 शाम 04 बजे तक

नोट:– निविदा खोलने की तिथि एवं समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर जिला – सरगुजा(छ.ग.)

कमांक/२१५२/स्टोर/2020

अम्बिकापुर दिनांक 29/05/2020

नियम एवं शर्तें

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी अम्बिकापुर द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए औषधि, सर्जिकल उपकरण, रसायन एवं प्रयोगशाला सामग्री क्रय हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं, उनके अधिकृत विक्रेताओं एवं सप्लायर से संयुक्त रूप से मुहर बन्द निविदा स्पेसिफिकेशन के साथ आमंत्रित की जाती है। निविदा की नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी –


1. औषधि निविदा जेनेरिक नाम से भरी जावे एवं जेनेरिक औषधियाँ प्रतिष्ठित कम्पनियों की ही होनी चाहिए। औषधियाँ जनरल कम्पनियों की नहीं, होनी चाहिए।
2. निविदा में भाग लेने वाले सभी फर्मों को 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर यह इकारनामा नोटरी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा कि निविदा में मेरे द्वारा भरी गई दर मैंने पूरे होशो-हवास में भरा है, निविदा में रेट बिगाडने के लिए नहीं भरा है। और उसी दर पर मैं सप्लायर के लिए बाध्य हूँ। साथ ही साथ अगर मैं उस दर पर सप्लायर नहीं कर पाता हूँ तो मेरी अमानत राशि को राजसात कर लिया जावे एवं मुझे ब्लैक लिस्टेड किया जाये। साथ ही अगले 03 (तीन) वर्षों की निविदा प्रक्रिया से मुझे वंचित कर दिया जावे। विभाग द्वारा किए गये इस प्रक्रिया में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 3- निर्माता कम्पनी/सप्लायर/अधिकृत विक्रेता का वार्षिक क्रय विक्रय (Turn Over) 01 करोड़ रुपये का होना चाहिए। (क्रय विक्रय प्रमाण पत्र (Turn Over) विक्रय कर अधिकारी अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है) तथा तीन वर्षों का इन्कम टैक्स/जी.एस.टी. रिटर्न फाइल सी.ए. द्वारा सत्यापित करा कर जमा किया जाना चाहिए।
4. आई.एस.ओ./डब्ल्यू.एच.ओ./सेड्यूल-एम.जी.एम.पी./आई.एस.आई./जो भी लागू हो तथा जी.एस.टी. निर्माणकर्ताओं को प्राथमिकता दी जावेगी। प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
5. औषधि, सर्जिकल उपकरण, प्रयोगशाला रसायन एवं उपकरण सामग्री तीनों के लिये संयुक्त रूप से 3,00,000 (तीन लाख) अमानत राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित है।
6. निविदा संबंधी दस्तावेज अलग से एक लिफाफे (तकनीकी बिड) में रहेगी जैसे फर्म का सम्पूर्ण पता, लैटर पैड में/थोक औषधि अनुज्ञप्ति/फूड एवं ड्रग लाइसेंस/पेन कार्ड/अनुभव प्रमाण

सर्टिफिकेट सप्लायर का/टर्न ओवर सर्टिफिकेट निर्माता का/आई.एस.ओ./आई.एस.आई./सी.ई./डी.सी.जी.आई./यू.एस.एफ.डी.ए./डब्ल्यू.एच.ओ.सर्टिफिकेट/अधिकृत का प्रमाण पत्र (निर्माता द्वारा प्रदायित) /बैंक ड्राफ्ट/आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहें हैं इस आशय का प्रमाण पत्र/आधार कार्ड एवं आवश्यक प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे (प्राइज बिड) में **दर सूची, कम्प्यूटर सी.डी भरी हुई (खाली नहीं)** सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

7. प्रत्येक औषधि की **गुणवत्ता/पैकिंग** संबंधी जानकारी अवसान तिथि अंकित हो तथा अवसान की तिथि प्रदाय दिनांक से दो वर्ष बाद की होना चाहिए।
8. सामाग्री कार्यालय भण्डार में पहुँचा कर देना होगा, जिस पर अन्य प्रकार का गाडी भाड़ा (फ्रेट पेड) देय नहीं होगा। ट्रान्सपोर्टिंग के दौरान टूट फूट लिकेज तथा कमी की सम्पूर्ण जवाबदारी प्रदायकर्ता की होगी।
9. अंकित दर पर, सी.एम.एच.ओ. आफिस अम्बिकापुर के स्टोर में प्रदाय होना चाहिए।
10. छत्तीसगढ़ शासन की भण्डार क्रय नीति के अनुसार प्रदाय की जाने वाली औषधि के नमूने की जाँच पर आने वाला व्यय प्रदायकर्ता को वहन करना होगा तथा औषधि प्रदाय हेतु आदेश जारी होने पर औषधि के साथ ही औषधि गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, परिक्षण रिपोर्ट के आभाव में औषधियाँ स्वीकार्य नहीं की जावेगी।
11. औषधि/सर्जिकल उपकरण / प्रयोगशाला रसायन एवं उपकरण सामाग्री जाँच में निम्न स्तर पाये जाने पर स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा, इसके लिए किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
12. क्रय आवश्यकता अनुसार प्राप्त आबंटन के आधार पर किए जायेगें किसी भी प्रकार की बाध्यता स्वीकार नहीं होगा।
13. बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा, इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
14. निविदा की दरें अगली निविदा आमंत्रित करने तक के लिए मान्य होगी।
15. निविदा दिनांक 30.06.2020 को सांय काल 03 बजे तक स्वीकार की जावेगी।
16. प्रदाय आदेश जारी होने के **15 कार्यालयीन दिवस** पर सामाग्री की आपूर्ति करना अनिवार्य है। अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। आपूर्ति न होने की स्थिति में अन्य को पूर्ति आदेश देने पर मूल्य अन्तर की राशि प्रथम प्रदायकर्ता से वसूल की जावेगी। राशि न देने पर अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी। आदेश होने पर नमूना माँगने पर नमूना देना होगा।
17. आपात स्थिति में किसी भी दर पर किसी से भी औषधियाँ/उपकरण/प्रयोगशाला रसायन क्रय की जा सकेगी।इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

18. निविदा कर्ता निविदा भरते समय प्रदाय की गई सूची अनुक्रम (निर्धारित फार्मेट) में ही अपना न्यूनतम दर दें। सूची अनुक्रम में किसी भी प्रकार की काट-छांट अथवा त्रुटि करने पर संबंधित फर्म को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य कर दिया जावेगा।
19. निविदा, रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट / अधिकृत कोरियर द्वारा ही प्राप्त की जावेगी।
20. संचालनालय चिकित्सा शिक्षा एवं संचालनालय स्वा. सेवायें तथा सी.जी.एम.एस.सी.द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु दर अनुबंध किए जाने की स्थिति में उनके न्यूनतम दर को भी मान्य कर उन्ही न्यूनतम दर वाले फर्म को भी क्रय आदेश प्रदाय किया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की बाध्यता स्वीकार नहीं होगी, एवं कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
21. निविदा दिनांक **30.06.2020** को शायं 04 बजे खोली जावेगी। निविदाकर्ता निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदाकर्ता कि अनुपस्थिति में भी क्रय समिति के सामने निर्धारित तिथि को निविदा खोल दी जावेगी।
22. नियम शर्तों के अनुसार निविदा के दस्तावेज पूर्ण हों, अपूर्ण होने पर तुलनात्मक सारणी में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
23. निविदा कर्ता फर्म, निविदा प्रपत्र लेने के साथ निविदा की साफ्ट कापी पेन ड्राइव द्वारा भी ले जावें।
24. निविदा दर हस्तलिखित स्वीकार नहीं किए जावेंगे, कम्प्यूटर जनित एवं निर्धारित सूची अनुक्रम (फार्मेट) में ही होना चाहिए। साथ ही साथ निविदा प्रपत्र की साफ्ट कापी (सी.डी.) भी जमा की जावे।
25. सप्लायर फर्म द्वारा देयक भुगतान हेतु तीन प्रतियों में कम्प्यूटरीकृत देयक जमा करना होगा, हस्तलिखित देयक किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा।
26. निविदाए खोली जानें के बाद निविदाकार को लिपिकीय अथवा मुद्रलेखकीय त्रुटि के लिए सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

संलग्न:- औषधि / सर्जिकल उपकरण / प्रयोगशाला रसायन एवं उपकरण सामाग्री की सूची।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी
अम्बिकापुर-जिला-सरगुजा (छ.ग.)